न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 94/2022

श्री जयवीर सिंह एडवोकेट, कोर्ट परिसर, खाजूवाला, जिला बीकानेर, मो0न0 9928930555

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 04.04.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.03.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 94/2022 पर दिनांक 09.03.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/ 963--64 दिनांक 09.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक पी0ए0/आर0टी0ए0/2022/431 दिनांक 04.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जयवीर सिंह एडवोकेट कोर्ट परिसर खाजूवाला जिला बीकानेर ने दिनांक 24.01.2022 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही जाने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक पी0ए0/2022/सू0अ0/267 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा आवेदक श्री जयवीर सिंह को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक पी0ए0/आर0टी0ए0/2022/431 दिनांक 04.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जयवीर सिंह एडवोकेट कोर्ट परिसर खाजूवाला जिला बीकानेर ने दिनांक 24.01.2022 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही जाने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक पी0ए0/2022/सू0अ0/267 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा आवेदक श्री जयवीर सिंह को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के पत्रांक 267 दिनांक 13.02.2022 मे यह अंकन है कि प्रार्थना पत्र मे किसी ग्राम का उल्लेख नही होने के कारण वांछित सूचना प्रार्थी को दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2022 मे स्पष्ट है कि उसे समस्त पटवारियान को दानपत्र के नामान्तरकरण नही करने के आदेश के संबंध मे सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अवलोकन से जाहिर है कि जब समस्त पटवारियान के संबंध मे सूचना चाही गई है तो ग्राम विशेष के नाम के अंकन की आवश्यकता नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:43 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं